प्रेस विज्ञप्ति
23.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने श्रीमती बर्नाडेट भरत वर्मा, भरतकुमार शंकरलाल वर्मा और अन्य से संबंधित मुंबई में स्थित लगभग **34.51 करोड़ रुपये** मूल्य की 35 अचल और चल संपत्तियों (फ्लैट, दुकानें, सावधि जमा आदि) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने मुंबई के कफ परेड पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 0031/2025 दिनांक 25.02.2025 के आधार पर जांच शुरू की। जांच से पता चला है कि यूनाइटेड सर्विसेज क्लब की उप सचिव (वित्त) श्रीमती बर्नाडेट भरत वर्मा ने अपने पति भरतकुमार शंकरलाल वर्मा के साथ मिलीभगत करके यूनाइटेड सर्विसेज (यूएस) क्लब के असली/नियमित विक्रेताओं के नाम से मिलते-जुलते कई फर्जी/नकली बैंक खाते खोले/खुलवाए और यूएस क्लब की लगभग 77 करोड़ रुपये की धनराशि इन फर्जी/नकली बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी। अपराध से प्राप्त इन धनराशि को श्रीमती बर्नाडेट वर्मा, भरत वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों के व्यक्तिगत/संयुक्त बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।

श्रीमती बर्नाडेट भरत वर्मा और भरतकुमार शंकरलाल वर्मा ने अपराध से प्राप्त धन का उपयोग कई अचल संपत्तियों को खरीदने में किया है और साथ ही उसका कुछ हिस्सा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेश किया है। इसके अलावा, अपराध से प्राप्त लगभग 11 करोड़ रुपये की धनराशि मेसर्स ज्योतिर्गमय फाउंडेशन (ट्रस्ट) के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई, जहां से बाद में धनराशि चंद्र प्रकाश पांडे, उनके परिवार के सदस्यों और चंद्र प्रकाश पांडे द्वारा नियंत्रित फर्मों (जो यूएस क्लब से संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट थे) से संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

निधि के दुरुपयोग को दर्शाने वाला फ्लो चार्ट नीचे दिया गया है:

